(58)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1282-पीबीआर/09 विरूद्ध आदेश दिनांक 14-9-09 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 336/2008-09/अपील.

कोक सिंह पुत्र भीकम सिंह
निवासी चार शहर का नाका
ग्वालियर ....आवेदक

विरूद्ध

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर ....अनावेदक

श्री एन.डी. शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/11/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-9-2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि संपदा अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर द्वारा तहसीलदार, ग्वालियर के समक्ष आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा घोषित शताब्दीपुरम योजनान्तर्गत ग्राम दीनारपुर/लखनीपुर की भूमि योजना के विकास हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 56 के अंतर्गत आपसी समझौते के तहत आवेदक की ग्राम दीनारपुर स्थित सर्वे नम्बर 66 एवं 67 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा भूमि अधिप्राप्त की जाकर कलेक्टर, ग्वालियर द्वारा तत्समय निर्धारित दर से आवेदक को मुआवजे राशि का भुगतान कर कब्जा प्राप्त की जाकर

प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नामांतरण हेतु तहसीलदार, ग्वालियर के समक्ष पूर्व में दिनांक 25-11-92 को आवेदन पत्र पस्तुत किया था, किन्तु आज दिनांक तक अनावेदक का नामांतरण नहीं होने से अनावेदक को कठिनाई हो रही है । अतः प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नामांतरण किया जाये । अपर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 176/06-07/अ-6 दर्ज कर दिनांक 14-9-07 को आदेश पारित कर अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 4-8-08 को विलंब से अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र सहित प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25-4-09 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 14-9-2009 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर तहसीलदार के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक का यह कहना त्रुटिपूर्ण है कि अनावेदक ने दिनांक 12-5-89 को प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा प्राप्त किया है, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक द्वारा गेहूं की खेती किया जाना प्रमाणित है और यदि अनावेदक द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया था, तब आवेदक द्वारा कैसे फसल बोई जा रही है । इस आधार पर कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के स्वत्व व स्वामित्व की भूमि है, जिस पर अनावेदक का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा 18 वर्ष तक नामांतरण की कार्यवाही क्यों नहीं की गई । यदि अनावेदक द्वारा पूर्व में दिनांक 25-11-92 को प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, तब तहसील न्यायालय में क्या प्रकरण दर्ज हुआ था, इसका कोई उल्लेख अनावेदक द्वारा नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि दिनांक 25-11-92 को नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तो क्या कार्यवाही हुई, यह बात केवल अपर आयुक्त के समक्ष उठाया गया है तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के सक्षम इस संबंध में कोई बात नहीं बताया गया है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है एवं तहसील न्यायालय के विधिसंगत आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में की गई है । इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष है, जो स्थिर रखे जाने योग्य हैं । यह तर्क भी प्रस्तुत किया

गया कि अनावेदक ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 56 एवं अन्य धाराओं का जो हवाला दिया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अनावेदक द्वारा आवेदक से कोई सहमति नहीं ली गई है और न ही आवेदक द्वारा कोई सहमति दी गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा आवेदक के स्वत्व व स्वामित्व की भूमि पर जबरन कब्जा प्राप्त करने की कोशिश किये जाने पर आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश पारित किया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वह आवेदक के स्वामित्व की भूमि के संबंध में नहीं है ।

उनके द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश यथावत रखते हुए अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक ग्वालियर विकास प्राधिकरण कोई प्रायवेट संस्था नहीं है, बल्कि नगर वासियों के हित में बाजार मूल्य से सस्ती दरों पर निचले तबके के नागरिकों को भूखण्ड एवं भवन उपलब्ध कराता है । यह भी कहा गया कि अनावेदक ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा शताब्दीपुरम योजनान्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि आवेदक से विधिवत अधिग्रहीत की जाकर मुआवजे का भुगतान बैंक चैक द्वारा आवेदक के खाते में राशि जमा की गई है । तर्क यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त के समक्ष जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वह पूर्ण रूपेण सत्य व सही हैं । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अधिग्रहीत की गई प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज रहा, जिसका फायदा आवेदक द्वारा उठाया जा रहा है । यह भी कहा गया कि चूंकि प्रश्नाधीन भूमि अधिग्रहीत करने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके तहत किसी अन्य आवेदन की आवश्यकता नहीं थी, जिस पर कोई विचार नहीं करने में तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा विवेचना उपरांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत के प्रकाश में विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का जी.डी.ए. द्वारा अधिग्रहण प्रमाणित है। मुआवजे का भुगतान भी बैंकर्स चैक से हुआ है। केवल भू-

अभिलेख में नामांतरण न होने से आवेदक को भूमि का स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। अत: तहसीलदार ने विधिवत् अधिग्रहीत वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक संस्था का नामांतरण न करने की त्रुटि की है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी इन तथ्यों पर ध्यान न देने की त्रुटि की है। तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक एवं उचित आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-9-2009 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर